"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2011—पौष 17, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991) सचिव, वित्त विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी, विमानन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को केवल सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री पी. सी. मिश्रा, भा.व.से., सचिव, राज्य योजना मण्डल एवं पदेन सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 27-12-2010 से 07-01-2011 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25, 26 दिसंबर 2010 एवं 08, 09 जनवरी 2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन, आगामी आदेश तक मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/07/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित गर्ग, भापुसे (2004), पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छ. ग. को व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 15-12-2010 से दिनांक 24-12-2010 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 25-26 दिसंबर 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अंकित गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, महासमुंद के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला दुर्ग छ. ग. को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. श्री अंकित गर्ग, भापुसे (2004), पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अंकित गर्ग, भापुसे (2004), पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित गर्ग, भापुसे (2004), पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यो./प्र.), पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. को घरेलू कार्य हेतु दिनांक 20-12-2010 से दिनांक 18-01-2011 तक कुल 30 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री पी. एस. ठाकुर, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू कार्यभार श्री प्रखर पांडे, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो./प्र., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3.　श्री पी. एस. ठाकुर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4.　अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यो./प्र.), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5.　प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 3-128/2010/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन कर राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार अंतर्गत अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-दुलदुला, जिला-जशपुर	चौकी-आरा, जिला-जशपुर	कस्तूरा	32
			झरगांव	32
			कादोपानी	32
			बांसताला	32
			जामटोली	32
			डेवाडेलगी	32
			केन्दपानी	32
			जामपानी	32
			चटियापानी	32

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्रमांक-एफ 7-41/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए थानखम्हरिया, निवेश जिला-दुर्ग क्षेत्र का गठन करती है,

जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई हैं :—

अनुसूची

थानखम्हरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम कोपेडबरी, गातापार, उमराव नगर, टीपनी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम टीपनी, दर्री की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम दर्री, करमू, गुवारा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम गुवारा, थानखम्हरिया, कुरदा, उमराव नगर, कोपेडबरी की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-33/32/2010.—राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नया रायपुर विकास योजना 2031 में ग्राम नवागांव प.ह.नं. 71/16 स्थित खसरा क्रमांक 561 का भाग 7.00 हेक्टर भूमि जिसका भूमि उपयोग आमोद प्रमोद प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट है, पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आवासीय टाउनशिप प्रस्तावित किया गया है. अतः उक्त भूमि का आमोद प्रमोद हेतु आवश्यकता न होने के कारण उसे विकास योजना से निकाल दिये जाने का निर्णय लिया गया है.

अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तसीगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत यह समाधान होने के पश्चात् कि नया रायपुर विकास योजना 2031 में वर्णित ग्राम नवागांव प. ह. नं. 71/16 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 561 का भाग रकबा 7.00 हेक्टेयर का भूमि उपयोग आमोद प्रमोद रखा जाना लोकहित में आवश्यक नहीं रह गया है, विकास योजना से निकाल देने की मंजूरी देता है. उक्त भूमि का उपयोग समीपस्थ भूमि उपयोग के आधार पर आवासीय उपयोग हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 5-111/18/2005.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा के अंतर्गत अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिलासपुर हेतु निम्नानुसार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी होगा :—

1.	कमिश्नर, बिलासपुर	अध्यक्ष
2.	कलेक्टर, बिलासपुर	सदस्य सचिव
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर	सदस्य
4.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर	सदस्य
5.	मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बिलासपुर	सदस्य
6.	मुख्य अभियन्ता, हसदेव, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सदस्य
7.	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर	सदस्य
8.	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण निवारण मंडल, बिलासपुर	सदस्य
9.	अधीक्षण अभियन्ता, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, बिलासपुर	सदस्य
10.	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर	सदस्य

इसके अतिरिक्त दो महिला सदस्यों का मनोनयन पृथक से किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-22/34/2010/16.—राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11) की उपधारा (5) की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम की भाग-अ में उल्लेखित 45 अधिसूचित नियोजनों के लिये निर्धारित दर को प्रदेश में तीन स्तर में प्रभावशीलन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2010/16, रायपुर, दिनांक 29-11-2010 में निम्नांकित क्षेत्र को अन्त:स्थापित करता है, अन्त:स्थापित क्षेत्रों में भी वर्गीकरण के अनुसार विशेष वेतन देय होगा.

क्र.	शहर/क्षेत्र की श्रणी	स्थान का नाम	वर्गीकरण के कारण प्रस्तावित बिन्दु
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(ब)	जांजगीर-चांपा एवं महासमुंद नगर पालिका एवं नगर पालिका सीमा 5 किमी के क्षेत्र तक का अन्त:स्थापित किया जाता है.	प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन रु. 10/- अधिक विशेष वेतन.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-37/2010/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम की धारा 33 (2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 31 (क) में उल्लेखित शास्तियों के संशोधन के लिए नियम 3 (6) निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है.

धारा 31 (क) प्रथम अपराध के लिये कारावास जिसकी अवधि 06 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 3000/- रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और

(ख) द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिये कारावास जिसकी अवधि 01 वर्ष एवं जुर्माना 5000/- रुपये या दोनों से दंडित किया जायेगा.

परंतु जहां अपराधी को जुर्माना से दंडित किया जाता है वहां जुर्माने की रकम 3000/- रुपये से कम नहीं होगी.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-38/2010/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण अधिनियम, 1982 की धारा 11 (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

(1) **बालिका विवाह योजना :—**

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "बालिका विवाह योजना, 2010" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक की एक पुत्री को रुपये 5,000/- अशिक्षित या पांचवी तक शिक्षा प्राप्त की हो तथा प्राथमिक शाला से अधिक शिक्षा प्राप्त पुत्री को रुपये 8,000/- की राशि मण्डल द्वारा प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मण्डल के अंशदायी है, की एक पुत्री जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो को पात्रता होगी.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा.

(ii) आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदक श्रमिक अथवा श्रमिक की पुत्री का होना चाहिए.

(iii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मण्डल कार्यालय में नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(द) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-19/खाद्य/2001/29.—छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 के अध्याय तीन की कंडिका-20 (2) के तहत् राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अशोक बजाज, चौपाल, सिविल लाईन, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ-1-1/30/सं/2006 रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं—

1. **संक्षिप्त नाम.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान नियम-2010" है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा.**— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

अ. "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप.**—साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान" राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन.**—राज्य शासन, साहित्य/आंचलिक साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियां.—**

1. निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

2. सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

3. संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

4. प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

5. निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

6. निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया :**— सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

2. प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

ख. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

ग. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

घ. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

च. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

3. अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जवेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

7. पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी—

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. साहित्यकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियां
6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड.**—सम्मान के लिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

1. सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

2. निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्यों का मूल्यांकन होगा.

3. व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

4. सम्मान चूंकि साहित्य/आंचलिक साहित्य के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

5. यह भी देखा जाएगा कि साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

6. निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

7. यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/ कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

8. यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार करते हुए किसी शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा.

8. **सम्मान की घोषणा.**— निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह.**—सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति.**—सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन.**—चयनित व्यक्ति के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

दाऊ मंदराजी सम्मान

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को "दाऊ मंदराजी सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं—

1. **संक्षिप्त नाम.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "दाऊ मंदराजी सम्मान नियम-2010" है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा.—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

अ. "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप.—** लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "दाऊ मंदराजी सम्मान" राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन.—** राज्य शासन, लोक कला/शिल्प क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

1. कुलपति, खैरागढ़ विश्वविद्यालय — सदस्य
2. अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ — सदस्य

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियां.—**

1. निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

2. सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

3. संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

4. प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

5. निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

6. निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया :—** सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

2. प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

ख. लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

ग. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

घ. लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

च. लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

3. अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

7. पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी—

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियां
6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड.**—सम्मान के लिए लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

1. सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति/संस्था का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

2. निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के लोक कला/शिल्प कार्यों का मूल्यांकन होगा.

3. व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

4. सम्मान चूंकि लोक कला/शिल्प के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए लोक कला/शिल्प के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

5. यह भी देखा जाएगा कि लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

6. निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

7. यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

8. यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार करते हुए किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा.

8. **सम्मान की घोषणा.**— निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह.**—सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति.**—सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन.**—चयनित व्यक्ति के लोक कला/शिल्प कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

चक्रधर सम्मान

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को "चक्रधर सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं—

1. **संक्षिप्त नाम.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "चक्रधर सम्मान नियम-2010" है.

(2). ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा.—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

अ. "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप.—** संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "चक्रधर सम्मान" राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन.—** राज्य शासन, संगीत एवं कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

1.	कुलपति, खैरागढ़ विश्वविद्यालय	—	सदस्य
2.	अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ	—	सदस्य

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियां.—**

1. निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

2. सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

3. संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

4. प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

5. निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

6. निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया :—** सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

2. प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

ख. संगीत एवं कला के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

ग. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

घ. संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

च. संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

3. अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

7. पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी—

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियां
6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड.**—सम्मान के लिए संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

1. सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से संगीत एवं कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

2. निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के संगीत एवं कला कार्यों का मूल्यांकन होगा.

3. व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

4. सम्मान चूंकि संगीत एवं कला के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए संगीत एवं कला के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

5. यह भी देखा जाएगा कि संगीत एवं कला के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया हैं.

6. निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

7. यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

8. यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वत: ही स्व-विवेक से विचार करते हुए किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा.

8. **सम्मान की घोषणा.**— निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह.**—सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति.**—सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन.**—चयनित व्यक्ति के संगीत एवं कला कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक/2419/अ.भू-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	परसदा प. ह. नं. 27	19.20	उप महाप्रबंधक (निर्माण), पा. ग्रि.-का.ऑ.ई.लि., दुर्ग (छ. ग.)	उच्च दाब पावर पूलिंग स्टेशन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक/2422/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	मेडेसरा प. ह. नं. 30	34.99	उप महाप्रबंधक (निर्माण), पा.ग्रि.-का.ऑ.ई.लि., दुर्ग (छ. ग.)	उच्च दाब पावर पूलिंग स्टेशन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्रमांक 01/अ-82/10-11/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	परसापानी प. ह. नं. 02	2.090	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सतनाला व्यपवर्तन योजना डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 01/अ-82/08-09/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	रतनपुर	बिरगहनी प. ह. नं. 06	1.258	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	पूरक माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 04/अ-82/09-10/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	तेन्दूभाठा प. ह. नं. 05	1.935	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	रैन कोटा जलाशय मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 06/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेमरिया	0.458	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	औरापानी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्रमांक/7702/कले/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	भिरौद	1.97	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, जगदलपुर.	चारामा-भिरौद मार्ग के किमी. 2/2 पर महानदी घाट पर सेतु निर्माण, पहुंचमार्ग कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1). के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) की उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	खरसिया प. ह. नं. 11	3.903	कार्यपालन अभियंता, निर्माण विभाग (भ+स), रायगढ़.	खरसिया बायपास क्रमांक 2 लिये भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) की उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तेलीकोट प. ह. नं. 11	0.085	कार्यपालन अभियंता, निर्माण विभाग (भ+स), रायगढ़.	खरसिया बायपास क्रमांक 2 लिये भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरमुड़ा प. ह. नं. 14	33.874	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमपाली प. ह. नं. 2	12.091	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	नवापारा प. ह. नं. 31	58.478	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पावर प्लांट हेतु)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	भोजिया प. ह. नं. 31	44.158	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पावर प्लांट हेतु)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	चितापाली प. ह. नं. 31	101.970	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पावर प्लांट हेतु)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कटाईपाली प. ह. नं. 32	38.016	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पावर प्लांट हेतु)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक/1576/03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-माटरी, प. ह. नं. 33/43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.328 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	351	0.117
	352	0.211
योग	02	0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन रा. प्र. क्र. 3/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-करूमौहा/कल्गामार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.56 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	10	1.95
	9/3	1.10
	9/5	1.56
	9/1	1.00
	9/2	1.00
	9/4	1.30
	8/5	1.92
	8/6	0.55
	8/8	0.55
	8/7	0.25
	8/12	0.50
	8/9	0.28
	8/10	0.60
	11	0.31
	8/13	0.70
योग	15	13.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन रा. प्र. क्र. 18/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-रींवाबहार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-44.04 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
594	0.15
595	1.35
601	3.70
596	1.33
599/3	0.90
600	0.92
602	0.38
604	0.17
603	0.08
605	0.10
611	0.11
614	0.72

(1)	(2)
616	0.50
617	0.15
620	0.31
599/1 क	5.79
599/1 ख	2.06
599/2 घ	2.00
599/1 ग	4.99
599/2 क	7.39
599/2 ग	0.60
599/2 घ	1.00
608/7	0.32
631/1	0.16
608/8	0.33
631/2	0.20
608/9	0.32
631/3	0.14
613	0.18
612	0.75
615	0.56
618	0.13
619	0.22
621	0.53
622	0.55
623	0.35
636	0.10
625	0.31
634	0.20
635	0.55
637/2	0.02
632	0.15
624	0.37
637/1	0.08
633	0.12
626/2	2.00
538	0.70
योग	44.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--चिताखोल जलाशय योजना के तहत बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन बाबत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बानाबेल, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.38 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
4/1	0.15
6	0.45
4/2	0.15
5/2	0.17
7/2	0.03
9/1	0.20
11	0.32
45	0.24
19	0.20
20	0.07
31	0.30
44	0.10
योग	2.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर, छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझीटी, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
28/1	0.10
45	0.23
28/3	0.10
48/1	0.17
73	0.11
79	0.23
47	0.17
71, 72	0.11
75	0.06
70/2	0.17
74	0.10
70/1	0.17
78	0.23
77	0.23
125/3	0.27
योग	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर, छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-आमामुडा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
253	0.18
252	0.10
251	0.05
योग	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ब्रानाबेल जलाशय योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 495/भू-अर्जन/04/अ/82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरीं
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-लड़ेर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	859	0.03
	865/1	0.04
	866/1	0.03
	908	0.04
	915	0.06
	907	0.01
	909	0.01
	910	0.01
	913	0.03
योग	9	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पनवई व्यपवर्तन् योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 496/भू-अर्जन/05/अ/82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-भोथा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1179	0.04
1180	0.07
262	0.03
1178	0.02
1183/1	0.01
1183/2	0.03
1181/2	0.02
1184/2	0.03
1184/1	0.04
798	0.02
1186	0.01
266	0.02
764	0.06
269	0.06
645	0.12
271	0.04
272	0.03
273	0.03
803	0.06
274/1	0.07
274/2	0.01
259	0.04
444	0.03
445	0.02
446	0.03

(1)	(2)
447	0.02
442	0.01
451	0.04
452	0.06
443/2	0.02
441	0.03
415	0.01
600	0.02
414	0.07
416	0.01
639/2	0.04
417	0.01
418	0.01
639/1	0.04
437	0.05
434	0.08
432	0.01
646	0.05
622	0.01
629	0.07
624	0.05
623	0.05
619	0.03
601	0.02
626	0.01
602	0.02
628/2	0.01
765	0.01
768/1	0.02
801/1	0.04
768/2	0.02
801/3	0.05
767	0.01
800	0.01
151	0.11
174/3	0.02
143	0.01
144/1	0.09
144/2	0.02
145	0.03
174/2	0.01
153/2	0.04
155	0.04
1182	0.03
1181/1	0.02
154	0.02
157	0.05
163	0.20
471	0.02
47	0.03
योग 75	2.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पनवई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 497/भू-अर्जन/05/अ/82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवुगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
293	0.05
195	0.01
215	0.01
294	0.07
113	0.04
109	0.02
300	0.02
292/1	0.09
119	0.02

(1)	(2)
217	0.02
218	0.02
303	0.05
138	0.01
214	0.02
139	0.02
213	0.03
108	0.02
207	0.01
211	0.03
201	0.02
202	0.03
131	0.09
133	0.03
112	0.01
118	0.02
117	0.06
योग 26	0.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पनवई नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 498/भू-अर्जन/03/अ/82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-राजपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1833	0.02
1760	0.05
1921	0.01
1762	0.01
1761	0.07
1920	0.18
1763	0.06
1751	0.16
1626	0.01
1766	0.06
1774	0.04
1109	0.08
834	0.05
1637	0.02
1765	0.01
1725/2	0.05
1618	0.04
1625	0.07
1913	0.01
1173	0.07
1176	0.01
1175	0.03
1174	0.03
906/1	0.04
906	0.05
1042/1	0.02
1042/2	0.02
1178	0.06
1039	0.05
योग 29	2.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिलोरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 499/क/भू-अर्जन/2010/07 अ/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1101	0.17
	1102	0.06
	1103	0.20
	1258	0.04
	1259/1	0.08
	1259/2	0.09
	1260	0.02
	1262	0.02
	1263	0.03
	1264	0.01
	1265	0.01
	1267	0.01
	1273	0.02
	1274	0.01
	1279/1	0.01
	1279/2	0.01
	1280	0.02
	1281	0.03
	1282	0.04
	1339	0.05
	1283	0.06
	1336	0.02
	1338	0.04
	1284	0.02
योग	24	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है--पैरी नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 500/क/भू-अर्जन/2010/06 अ/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-भोथा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेगर में)
(1)	(2)
231	1.33
114	0.07
104	0.03
122	0.31
119	0.03
117	0.04
97	0.08
98	0.03
115	0.05
94	0.12
232	0.11
95	0.09

(1)	(2)
116	0.04
113	0.08
118	0.04
योग 15	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महानदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 501/क/भू-अर्जन/03 अ/82/वर्ष 2007-2008—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
946/1	0.10
945/1, 952/2	0.28
952/1	0.10
योग 3	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नागदेव नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 502/क/भू-अर्जन/02 अ/82/वर्ष 2007-2008—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-सांकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
898/1	0.02
887	0.27
882	0.08
885/2	0.06
882/903/2	0.03
882/903/1	0.10
योग 6	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नागदेव नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 503/भू-अर्जन/04/अ/82/वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-कुरूद
(ग) नगर/ग्राम-नारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4435	0.05
4434	0.04
4439	0.05
4442	0.04
4443	0.04
4445	0.08
4437/1	0.04
4449	0.06
योग 8	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खट्टी एनीकट के पहुंच मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 504/भू-अर्जन/03/अ/82/वर्ष 2009-10—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-मगरलोड
(ग) नगर/ग्राम-पहंदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1154	0.05
1173	0.11
1176	0.01
1153	0.09
1175	0.01
1152/1	0.03
1152/2	0.03
1152/3	0.03
1123	0.11
1124	0.12
1129	0.08
1130	0.04
1131	0.02
1128/1	0.02
1128/2	0.02
1127	0.01
1190	0.05
230	0.01
231	0.01
232	0.02
233	0.03
240/2	0.01
1039/2	0.01
242	0.01
245	0.01
1212	0.05
1210	0.16
1208/2	0.01
1209/2	0.02
1218	0.02
1044	0.21
1033	0.01
1037	0.01
1038	0.10
1034	0.02
1017/1	0.02
1018/1	0.05
1018/2	0.03
1018/3	0.05
1019	0.04
1020	0.07
1024	0.01
1021/2	0.05
1005	0.01
1006	0.04
1003	0.16
905	0.08
898/2	0.04
योग 48	2.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पनवई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.